

1

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 784/2016 ई.फौ.

न्यायालय— प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक 784/2016 ई.फौ.

संस्थापित दिनांक 09/12/2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—
गोहद चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियोजन

बनाम

1. टुण्डे खां पुत्र गबडू खां उम्र 50 वर्ष
निवासी ग्राम राय की पाली थाना गोहद
चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
2. इन्दो वानो पत्नी टुण्डे खां उम्र 45 वर्ष
निवासी ग्राम राय की पाली थाना गोहद
चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0
3. याकूब खां पुत्र टुण्डे खां उम्र 30 वर्ष
निवासी ग्राम राय की पाली थाना गोहद
चौराहा जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(अपराध अंतर्गत धारा—498क, 506 बी, भा0द0वि0)
(राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार ।)
(आरोपीगएर द्वारा अधिवक्ता—श्री के पी राठौर एड0 ।)

::— निर्णय —::

(आज दिनांक 02.02.2018 को घोषित किया)

आरोपीगण पर दिनांक 27.01.2015 के एक माह पश्चात् से दिनांक 02.09.2016 के सात माह पूर्व तक फरियादी सबनम बानो के पति/नातेदार होकर फरियादिया से पचास हजार रुपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग करने तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सबनम बानो को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करने एवं फरियादी सबनम बानो से विवाह के पश्चात् मूल्यवान प्रतिभूति

के रूप में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल दहेज की मांग करने तथा फरियादिया सबनम बानो को मृत्यु कारित करने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने हुए भा.दं.सं. की धारा 498ए एवं 506बी तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि फरियादी सबनम बानो की शादी दिनांक 27.04.2015 को आरोपी याकूब खान के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज से सम्पन्न हुयी थी शादी में फरियादिया के माता-पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था जिसमें टीवी, कूलर, फ्रीज, अलमारी आदि सामान सोने चांदी के जेवर एवं इक्कीस हजार रुपये नगद दिये गये थे। शादी के करीबन एक महीने बाद फरियादिया के पति याकूब खान ससुर टुण्डे खान एवं सास इद्दो खां फरियादिया को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे एवं कहने लगे थे कि तुम्हारे माता-पिता ने शादी में कुछ नहीं दिया है। शादी में मोटरसाइकिल तथा पचास हजार रुपये देने को कहा था जो कि नहीं दिये थे। इसी कारण आरोपीगण आये दिन फरियादिया को ताने देकर प्रताड़ित करते थे। फरियादिया ने यह बात अपने माता-पिता एवं परिवार वालों को बतायी थी तो उसके माता-पिता उसकी ससुराल राय की पाली गये थे एवं आरोपीगण को समझाया था, परंतु वह नहीं माने थे एवं आरोपीगण ने उससे पचास हजार रुपये तथा मोटरसाइकिल की मांग की थी एवं उसे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। आवेदन पेश करने के सात माह पूर्व फरियादी अपने मायके आ गयी थी तभी से फरियादी सबनम अपनी मां के साथ भिण्ड में रह रही है। फरियादी द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद चौराहा को लेखीय आवेदन दिया गया था तत्पश्चात् उक्त आवेदन के आधार पर थाना गोहद चौराहा में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. 218/16 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपीगण को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपीगण ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपीगण का अभिवाक अंकित किया गया।

4. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी सबनम बानो द्वारा आरोपीगण से स्वेच्छया पूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेने के कारण आरोपीगण को पूर्व में ही भा.दं. सं. की धारा 506बी के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है एवं आरोपीगण के विरुद्ध मात्र भा.दं.सं. की धारा 498क एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत विचारण शेष है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपीगण ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

6. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए हैं :-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 27.01.2015 के एक माह के पश्चात् से दिनांक 02.09.2016 के सात माह पूर्व तक फरियादिया सबनम बानो के पति/नातेदार होकर फरियादिया सबनम बानो से दहेज में पचास हजार रुपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सबनम बानो को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की ?

2. क्या आरोपीगण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादिया सबनम बानो से दहेज में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की अवैधानिक रूप से मांग की ?

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से फरियादी सबनम बानो अ.सा.1 एवं तकदीरन बानो अ.सा.2 को परीक्षित कराया गया है, जबकि आरोपीगण की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण
विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2

8. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में फरियादिया सबनम बानो अ.सा.1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी शादी आरोपी याकूब से उसके न्यायालयीन कथन के दो ढाई साल पहले हुयी थी उसका उसके पति एवं सास-ससुर से मुंहवाद हो गया था फिर वह अपने मायके आय गयी थी फिर उसने थाने में उनके विरुद्ध एक आवेदन दिया था जो प्र.पी.1 है। पुलिस ने एफ.आई.आर. लिखी थी जो प्र.पी.2 है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले उसे अपने मायके से मोटरसाइकिल व पचास हजार रुपये लाने के लिए कहते थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण आये दिन उसकी मारपीट करते थे। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने वाली बात अपने आवेदन प्र.पी.1, पुलिस रिपोर्ट प्र.पी.2 एवं पुलिस कथन प्र.पी.3 में पुलिस को लिखाई थी।

10. साक्षी तकदीरन बानो अ.सा.2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि शादी के बाद से उसकी बेटी और आरोपीगण के विरुद्ध मुंहवाद होता था तो उसकी बेटी उसके घर आ गयी थी फिर उसकी बेटी ने आरोपीगण के खिलाफ थाने में रिपोर्ट की थी। पुलिस ने उसके सामने सबनम की शादी का कार्ड जप्त किया था जो प्र.पी.4 है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार

किया है कि आरोपीगण उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसकी बेटी से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल अपने मायके से लाने के लिए कहते थे।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में फरियादी सबनम बानो अ.सा.1 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि शादी के बाद उसका आरोपीगण से मुंहवाद हुआ था तो उसने आरोपीगण के विरुद्ध थाने में प्र. पी.1 का आवेदन दिया था। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उससे मोटरसाइकिल एवं पचास हजार रुपये दहेज की मांग की थी तथा इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपीगण आये दिन उसकी मारपीट करते थे। साक्षी तकदीरन बानो अ.सा.2 ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि उसकी बेटी एवं आरोपीगण के मध्य मुंहवाद होता था तो उसकी बेटी मायके आ गयी थी। उक्त साक्षी को भी अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी का उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि आरोपीगण उसकी बेटी से पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल अपने मायके से लाने के लिए कहते थे।

13. इस प्रकार फरियादी सबनम बानो अ.सा.1 एवं तकदीरन बानो अ.सा.2 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपीगण द्वारा दहेज मांगने के तथ्य से इंकार किया गया है। उक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपीगण फरियादी सबनम बानो से दहेज में मोटरसाइकिल एवं पचास हजार रुपये की मांग करते थे तथा न देने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित करते थे। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

14. यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करे यदि अभियोजन आरोपीगण के विरुद्ध अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहता है तो आरोपीगण की दोषमुक्ति उचित है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 27.01.2015 के एक माह पश्चात् से दिनांक 02.09.2016 के सात माह पूर्व तक फरियादी सबनम बानो के पति/नातेदार होकर फरियादिया सबनम बानो से दहेज में पचास हजार रुपये

एवं एक मोटरसाइकिल की मांग की तथा मांग की पूर्ति न होने पर फरियादिया सबनम बानो को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके साथ क्रूरता कारित की तथा फरियादिया सबनम बानो से विवाह के पश्चात् मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में पचास हजार रुपये एवं मोटरसाइकिल की दहेज की अवैधानिक रूप से मांग की। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी टुण्डे खां, इन्दो बानो एवं याकूब खान को भादस की धारा 498क एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

16. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर हैं उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

17. प्रकरण में निराकरण योग्य कोई सम्पत्ति नहीं है।

स्थान – गोहद

दिनांक –02.02.2018

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित
कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)